खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

घ ब्लाक, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004 मध्यप्रदेश

क्रमांक 1523/NFSA/2020

भोपाल, दिनांक 27/3/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय- खाद्यान्न प्रदाय बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि COVID-19 (CORONA VIRUS) से रोग के फैलने को रोकने हेतु लॉकडाउन अवधि में आवागमन के साधनों को बंद किये जाने के कारण जो परिवार अपने निवास स्थान से अन्यत्र रूके हुए है अथवा अन्य बे-घर, बेसहारा व्यक्तियों को भोजन हेतु निम्नानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए :-

- प्रत्येक जिले को प्रारंभिक रूप से 2000 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का आवंटन जारी किया जाना है इस मात्रा में जिले की आवश्यकतानुसार गेहूं एवं चावल का उठाव किया जा सकेगा। आवंटित मात्रा में से ही जैसे ही 50% मात्रा का उपयोग हो जाए अतिरिक्त आवंटन की मांग तत्काल की जाए।
- जिलों में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है आवंटन के आभाव में खाद्यान्न का प्रदाय कदापि न रोका जावे।
- गेहूं एवं चावल नि:शुल्क प्रदाय किया जाएगा।
- प्रदाय मात्रा का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- खाद्यान्न का उठाव उचित मूल्य दुकानों के वर्तमान स्टॉक से अथवा प्रदाय केन्द्रों से गोदामों से कराया जा सकेगा।
- गोदाम से प्रदाय खाद्यान्न का DM MPSCSC द्वारा एवं वितरित खाद्यान्न का DSC/DSO द्वारा विधिवत रिकार्ड संधारित किया जाएगा।
- द्वार प्रदाय योजनांतर्गत कार्यरत परिवहनकर्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न का प्रदाय किया जाएगा।
- गेहूं एवं चावल का उठाव करते समय उसकी गुणवत्ता की जांच कराली जावे एवं FAQ गुणवत्ता का ही स्कंध प्रदाय किया जाए।
- प्रदाय गेहूं एवं चावल वास्तविक हितग्राहियों के भोजन हेतु ही उपयोग किया जा रहा है यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराया जाए।
- खाद्यान्न के प्रदाय एवं भोजन वितरण पर सतत् मॉनीटरिंग की जावे तथा इस हेतु व्यक्तिश: जिम्मेदारी सौंपी जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(अविनाश लवानिया)
संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश

दूरभाष कार्या.: 0755–2551479, ई–मेल : **dirfood@mp.nic.in**